दस रुपये TEN RUPEES

भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(62)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 12010 निगरानी 689-III/10

१- हीरालाल सिंह पुत्र अनुजभान सिंह,

२- राघवेन्द्र सिंह |
३- मंगलेश्वर सिंह | पुत्रगण वंश बहादुर सिंह
४- सूर्यनाथ सिंह |

समस्त निवासीगण ग्राम पटवरा, तेहसील-मऊगंज,
जिला रीवां-मध्यप्रदेश ।

----- प्रार्थीगण

विरुध्द

१- रामसखा पुत्र मंगलदीन कुर्मी,
निवासी ग्राम ढनकन तेहसील मऊगंज,
जिला रीवां(म०प्र० (

----- असल प्रतिप्रार्थी

२- ओंकारनाथ |
३- त्रियुगीनारायण | पुत्रगण भृगुनाथ प्रसाद
४- जयराम |

५- पार्वती बेवा पत्नी भृगुनाथ प्रसाद

६- अनिल कुमार | पुत्रगण बैकुण्ठप्रसाद
७- अखिलेश कुमार |

८- कुमारी किरण तिवारी पुत्री बैकुण्ठप्रसाद

९- मुस० प्रतिमा तिवारी बेवा पत्नी बैकुण्ठप्रसाद

समस्त निवासीगण ग्राम पिपरी, तेहसील-मऊगंज,
जिला रीवां-मध्यप्रदेश,

----तरतीवी प्रति

निगरानी विरुध्द आदेश अपर आयुक्त महोदय, रीवां संभाग,
दिनांक ५-९-०६, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश, भू-राजस्व संहिता
१९५९।प्र०क्र० १५९।९६-९७ अपील

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 689–तीन/2010 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17 –8–2016	आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण कमांक 159/अपील/1996–97 में पारित आदेष दिनांक 5–9–2009 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अपर आयुक्त के आदेश में लिखे होने से दोहराने की आवश्यकता नहीं है। 3/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि आवेदकगण प्रारंभिक न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय में पक्षकर थे, किन्तु उन्हें द्वितीय अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अपर आयुक्त के समक्ष पक्षकार के असंयोजन का दोष होने से द्वितीय अपील प्रथमदृष्टया ही निरस्ती योग्य थी, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा उक्त विधिक स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित किया है, जो निरस्ती योग्य है। विवादित आदेश के पैरा 4 से प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने के निर्देश दिये है, इस पद में विवादित प्रश्न के निराकरण में एक से अधिक बार आवेदक हीरालाल सिंह के नाम का उल्लेख किया गया तथा उसके स्वत्वों एवं अधिकारों पर मत व्यक्त किया गया है किन्तु उसे पक्षकार नहीं बनाया गया। ऐसी स्थिति में विवादित आदेश को न्यायोचित नहीं माना जा सकता। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।	

4/ अनावेदक कं 1 के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि चूंकि निम्न न्यायालयों सहित अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में आवेदकगण पक्षकार नहीं थे इसलिए उन्हें द्वितीय अपीलीय न्यायालय में भी पक्षकार नहीं बनाया गया था। यह भी तर्क दिया कि हीरालाल द्वारा स्वयं की भूमि का विक्रय कर दिया था तथा विक्रय के पश्चात अनावेदकगणों का नामांतरण भी हो गया था इसलिए आवेदकगण को आवश्यक पक्षकार नहीं माना गया है। तर्क में यह भी कहा कि चूंकि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया है जहां प्रकरण का पुनः सुनवाई उपरांत गुण–दोष पर निराकरण होगा इसलिए इस निगरानी में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में विधिक एवं विचारणीय बिन्दु को इंगित कर प्रकरण उक्त बिन्दुओं की जांच एवं निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यार्तित किया है। राजस्व न्यायालय को रजिस्ट्री हो जाने के पश्चात रजिस्ट्री के आधार पर नामान्तरण न करने संबंधी अधिकार प्राप्त है? एक बार विक्रय करने के पश्चात दुबारा विक्रय करने के लिए विक्रेता के पास विक्रय योग्य हित या अधिकारी बाकी रहता है?, जैसे विधिक बिन्दुओं की जांच पूर्व में विचारण न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तन करने के बावजूद निराकरण नहीं होने के कारण अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं के निराकरण हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं

है। जहां तक आवेदक अभिभाषक के तर्क का प्रश्न है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पक्षकार होने के बावजूद भी अपर आयुक्त के न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया, मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदकगण प्रथम अपीलीय न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। चूंकि अपर आयुक्त के अलावा प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में आवेदकगण पक्षकार के रूप में सम्मिलित नहीं थे, इसलिए इस स्तर पर उसे किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं की जा सकती। क्योंकि जहां अपीलीय न्यायालय में कोई व्यक्ति पक्षकार न हो उसे निगरानी में पक्षकार नहीं माना जा सकता। अतः अपर आयुक्त के आदेश में कोई विधिक त्रुटिलक्षित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त जैसा कि उपर विश्लेषण किया गया है अपर आयुक्त के आदेश के कम में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण में विधिक बिन्दुओं की जांच एवं गुण–दोष पर आदेश पारित किया जाना है अतः यदि आवेदकगण चाहे तो अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पृथम से पक्षकार बनने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए वह स्वतंत्र है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 5–9–09 स्थिर रखा जाता है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य